

RASHTRIYA ISPAT NIGAM LIMITED  
VISAKHAPATNAM STEEL PLANT  
VISAKHAPATNAM – 530031

HUMAN RESOURCES DEPARTMENT – RULES & POLICIES SECTION

No.: HR/RR/7(4)/297

Date: 23/11/2018

MISCELLANEOUS CIRCULAR NO.04/18

Sub: Medical Record-cum-Identity Books

----

1. It has been decided to issue Medical Record-cum-Identity Book in different colours to the concerned, for operational convenience, as given hereunder:

Sl. No.	Category	Green Color	Yellow Color	Pink Color
1	Permanent employees of RINL and their eligible dependents who are entitled for treatment at Company's Hospital incl. Referral	√ (Existing colour)	-	-
2	Eligible dependents who are entitled for treatment at Company's Hospital only	-	√	-
3	Trainees and their spouse and children (for treatment at Company's Hospital only)	-	√	-
4	- Retired employee and his/her spouse (for treatment at Company's Hospital only) - Employees who cease to be in employment on account of permanent total disablement and spouse of an employee who dies while in service (for treatment at Company's Hospital only)	-	√	-
5	Regular employees of other PSUs like HSCL, FSNL, Govt. Audit Deptt. and Schools working at RINL and their declared dependents (for treatment at Company's Hospital only)	-	-	√

2. All concerned are requested to note the above and get their Medical Books changed accordingly.
3. This issues with the approval of Competent Authority.

  
(Dr SBVSP Sastry)  
AGM(HR)

Distribution:

Standard

This Circular is also available in the Intranet Portal at:  
<http://www.vpsite.org:86/hr/CorporatePersonnel/RulesandPolicies/MiscellaneousCirculars.aspx>

राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड  
विशाखपट्टणम इस्पात संयंत्र  
विशाखपट्टणम - 530031

मानव संसाधन विभाग - नियम व नीति अनुभाग

सं.: HR/RR/7(4)/297

दि. 23/11/2018

विविध परिपत्र सं.04/18

विषय: चिकित्सा अभिलेख-सह-पहचान पुस्तिकाएँ

1. यह निर्णय लिया गया है कि प्रचालन की सुविधा के लिए संबद्ध व्यक्तियों को नीचे दिए गए अनुसार रंगीन चिकित्सा अभिलेख-सह-पहचान पुस्तिकाएँ जारी की जाएँ।

क्र. सं.	श्रेणी	हरा रंग	पीला रंग	गुलाबी रंग
1	आर आई एन एल के स्थाई कर्मचारी और उनके योग्य आश्रित जो रिफरल को शामिल करते हुए कंपनी के अस्पताल में इलाज के हकदार हैं।	√ (वर्तमान रंग)	-	-
2	योग्य आश्रित जो केवल कंपनी के अस्पताल में इलाज के हकदार हैं।	-	√	-
3	प्रशिक्षणार्थी और उनके पति/पत्नी और बच्चे (केवल कंपनी के अस्पताल में इलाज के लिए)	-	√	-
4	<ul style="list-style-type: none"><li>सेवानिवृत्त कर्मचारी और उनके पति/पत्नी (केवल कंपनी के अस्पताल में इलाज के लिए)</li><li>वे कर्मचारी जिनकी सेवा पूरी स्थाई अक्षमता के कारण समाप्त हो जाती है और सेवा में रहते हुए मृत कर्मचारी के पति/पत्नी (केवल कंपनी के अस्पताल में इलाज के लिए)</li></ul>	-	√	-
5.	एच एस सी एल, एफ एस एन एल जैसे अन्य सार्वजनिक उपक्रम, सरकारी लेखापरीक्षा विभाग और आर आई एन एल के स्कूलों में कार्यरत नियमित कर्मचारी और उनके घोषित आश्रित (केवल कंपनी के अस्पताल में इलाज के लिए)	-	-	√

2. सभी संबद्धों से अनुरोध है कि उपर्युक्त को नोट करें और तदनुसार अपनी चिकित्सा पुस्तिकाओं को परिवर्तित करें।
3. यह सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

*डॉ. एस बी वी एस पी शास्त्री*  
(डॉ.एस बी वी एस पी शास्त्री)  
स म प्र (मा सं)

वितरण:

मानक